

बिहार विधान परिषद् सचिवालय
पटना – 800015

आवश्यक सूचना
(विज्ञापन संख्या-01/2024)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक संवर्ग में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या-01/2024 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद् के वेबसाईट www.biharvidhanparishad.gov.in पर देखा जा सकता है।
ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं—

1.	ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	दिनांक 10.01.2024 को 9:30 बजे पूर्वा. से
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि	दिनांक 10.01.2024 को 9:30 बजे पूर्वा. से
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.01.2024 को 11.59 बजे अप. तक
4.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.01.2024 को 11.59 बजे अप. तक

नोट:-

- उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणों एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट www.biharvidhanparishad.gov.in पर प्रदर्शित है।
- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे।
- उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
- उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दिनांक 10.01.2024 से हेल्पलाइन नम्बर -09102054333 या 09102045444 पर सोमवार से शनिवार 10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. तक की अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
- blcsrecruitment@gmail.com पर ई-मेल भेज कर उपर्युक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


08.01.2024
(कमलेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्
पटना।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय
पटना - 800015

विज्ञापन सं.-01/2024

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक संवर्ग में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिक सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन(Online)आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित तिथि -

1.	ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	दिनांक 10.01.2024 को 9:30 बजे पूर्वा. से
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि	दिनांक 10.01.2024 को 9:30 बजे पूर्वा. से
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.01.2024 को 11.59 बजे अप. तक
4.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.01.2024 को 11.59 बजे अप. तक

नोट : प्रतिवेदक के पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद् के वेबसाइट पर किया जायेगा।

*विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए बिना, किसी एक या सभी पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया/विज्ञापन या किसी चरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

अनुमान्य आरक्षणवार बैकलॉग सहित रिक्तियों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान / वेतन स्तर	आरक्षण कोटिवार बैकलॉग सहित रिक्तियों की संख्या						पदों की कुल संख्या	दिव्यांग	
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1	प्रतिवेदक	Level-9	01	02	0	02	01	00	02	08	VI-01
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद											
			00	01	0	01	01	00	00	03	
		कुल	01	03	00	03	02	00	02	11	

नोट:- दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:-VI- दृष्टि दिव्यांग।

2. शैक्षणिक योग्यता:-ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत् शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा -

3.3.1/2

क्र.	पदनाम	सातवां पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर	शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता
1.	प्रतिवेदक	Level-9 (53,100 - 1,67,800) + नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते	<ul style="list-style-type: none"> राज्य/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, हिन्दी में आशुलेखन गति 150 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण में गति 35 शब्द प्रति मिनट कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे ए.आई.सी.टी.ई. या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी./एन.आई.ई.एल.आई.टी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.ए.सी.सी./एन.आई.ई.एल.आई.टी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जांच। नोट - अपेक्षित आशुलिपि गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

4. आरक्षण :-

- (i) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. 673, दिनांक-08.03.2011के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)
- (b) स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)
- (v) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।
- (vi) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

3.3.112

- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं.-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्रि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची-I(प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वर्ष 2022-2023 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं.-13062, दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्रि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऑनलाईन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम-से-कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय परिषद् सचिवालय द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(r)के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD)(40%या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-Iमें सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe)की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्रि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (xi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (xii) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र परिषद् कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान परिषद् सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन करते समय किये गये दावे के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों का प्रमाण-पत्र वार नम्बर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। Document Verification के समय ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रमाण-पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

5. उम्र सीमा :-

- (i) न्यूनतम आयु -दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम उम्र 21 (इक्कीस) वर्ष।
- (ii) अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष, अनारक्षित (महिला)/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष। आवेदक की अधिकतम उम्र दिनांक 01 जनवरी, 2024 को अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होनी चाहिए।

परिषद् सचिवालय द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके

हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पांच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

- (iv) साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62, दिनांक-06.01.2007 के आलोक में दिव्यांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों का छूट अनुमान्य है।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

6. (1) परीक्षा की पद्धति -प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी -

- (क) प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी - (1) प्रारंभिक परीक्षा (OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा एवं (3) साक्षात्कार।
- (ख) (1) प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण जांच परीक्षा ली जायेगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 (सत्तर) मिनट का समय अनुमान्य होगा। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा कुल 300 (तीन सौ) अंकों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकण जांच परीक्षा का मूल्यांकन किया जायेगा।
- (2) अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति की आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी।
- (3) हिन्दी टंकण(कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण(कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77का.-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी।
- (4) प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 01(एक) घंटा की एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जांच परीक्षा/एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अंतिम चरण में 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार में 30 प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

मेधा सूची -टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(2) प्रारंभिक परीक्षा :-

- (क) प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे।
- (ख) प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा।
- (ग) प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 02 (दो) घंटे की होगी और कुल 100 (एक सौ) प्रश्न होंगे।
- (घ) प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 (चार सौ) अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 04 (चार) अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जाएगी।
- (ङ) प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगी। यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।
- (च) प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे-
- (i) सामान्य अध्ययन - प्रश्नों की संख्या 40 (चालीस) होगी।

3.3.18

(ii) सामान्य विज्ञान एवं गणित – प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी।

(iii) मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार – प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी।

- (छ) इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती जांच/परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा।
- (ज) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प सं.-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।
- (झ) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।
- (ञ) अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी।

(3) प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

- (क) सामान्य अध्ययन:- इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जायेंगे।
- i. सम-सामयिक विषय- महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम-सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल-खिलाड़ी।
- ii. भारत और इसके पड़ोसी देश- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास/संस्कृति/भूगोल/ आर्थिक परिदृश्य/कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान।
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित :- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जायेंगे।
- i. सामान्य विज्ञान – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान।
- ii. गणित- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं 0 के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।
- (ग) मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार (Mental Ability and Logical Reasoning):- इसमें शाब्दिक एवं गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जायेंगे-
- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या।

7. परीक्षा शुल्क -

(क) प्रतिवेदक पद हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क -

- i. बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 600/- (छः सौ) रुपये
- ii. बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला अभ्यर्थियों के लिए 600/- (छः सौ) रुपये
- iii. बिहार राज्य के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 600/- (छः सौ) रुपये
- iv. बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200/- (बारह सौ) रुपये

(ख) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन आवेदन करते समय Credit/Debit Card/UPI के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी

देना होगा। जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

- (ग) वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee)के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं—

- (क) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए परिषद् सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण-पत्र/अंक-पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित करेंगे।
- (ग) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि एवं समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (घ) अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (ङ) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No)को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (च) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम-से-कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या परिषद् सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (छ) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending के लिए परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

9. महत्वपूर्ण निर्देशः—

- (1) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application" से भरा आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। परिषद् सचिवालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी पर Application Number के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

9.3.11

- (2) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र, नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु परिषद् सचिवालय स्वतंत्र रहेगा।
- (3) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (4) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ परिषद् सचिवालय के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- (5) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश परिषद् सचिवालय के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (6) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (7) किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा।

३.३.१६
०४.०१.२०२५
(कमलेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्